न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/177/2006/भरतपुर

भजनलाल पुत्र गगाप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी विनउआ तहसील नदबई जिला भरतपुर

अपीलार्थी

बनाम

1 गोपाल पुत्र गंगा प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी विनउआ तहसील नदबई जिला भरतपुर
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नदबई

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य

उपस्थितः श्री अशोक अग्रवाल वकील अपीलार्थी
श्री योगेन्द्रसिंह वकील प्रत्यर्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांकः.20.6.2018

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 20/03 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.12.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलार्थी ने एक वाद संख्या 203/94 नया नम्बर 323/01 अधिनियम की धारा 88, 89, 53 एवं 188 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, नदबई के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम विनउआ स्थित आराजी खसरा नम्बर 28, 29, 34, 138, 144, ¸92, 193, 216, 242, 223, 257, 259, 346, 365, 440, 585, 598 किता 17 रकबा 22.05 बीघा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बहिस्सा बराबर खातेदारी काश्तकारी की आराजी है। विवादित आराजीयात का विभाजन किया जावे। विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 16.7.98 से वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की एवं कुर्रे रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णय दिनांक 26.2.99 को अन्तिम डिक्री

पारित की। जिसके विरूद्ध प्रतिवादी प्रत्यर्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की जो उनके निर्णय दिनांक 12.10.99 से स्वीकार की जाकर प्रकरण प्रति प्रेषित किया गया। इसके विरूद्ध वादी अपीलार्थी द्वारा राजस्व मण्डल में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 12.9.01 से निर्देशो के साथ विचारण न्यायालय को भेजा गया। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार से कुर्रे रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णय दिनांक 29.11.02 से वाद में अन्तिम डिक्री पारित की। इसके विरूद्ध वादी/अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में प्रथम अपील संख्या 20/03 प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 26.12.05 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि वादी अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह स्पष्ट किया था कि खसरा नम्बर 598 नया खसरा नम्बर 755 राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है जिसमे वादी व प्रतिवादी दोनें को बराबर बराबर हिस्सा दिया जाना चाहिये। इसी प्रकार खसरा नम्बर 223 व 222 को बराबर बराबरा दिया जाना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवारा हेतु बने राजस्व मण्डल नियमों के नियम 18 से 20 की पालना नहीं की है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में तहसीलदार द्वारा दोनों पक्षो की उपस्थिति में मौके पर कुर्रे रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत की गई है जिस पर वादी द्वारा आपति केवल आबादी के पास वाली भूमि खसरा नम्बर सम्पूर्ण उसे दिये जाने की आपति प्रस्तुत की गई है जबकि इस भूमि में वादी व प्रतिवादी दोनें को आधी आधी दी गई है जो विधि अनुरूप है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है। वादी अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में भी खसरा नम्बर 598 को प्रतिवादी के पास रखा गया है क्योंकि इसका रकबा राजमार्ग में जाना प्रस्तावित मानकर वादी ने लेने से इन्कार किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. विचारण न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कुर्रे रिपोर्ट पर दोनों पक्षो को सुना गया है तथा वादी द्वारा खसरा नम्बर 440 को आबादी के पास स्थित होना कथन करते हुए इसका अपखण्डन नहीं कर सम्पूर्ण रकबा वादी को दिये जाने की आपति प्रस्तुत की गई थी जिसे विचारण न्यायालय ने खारिज कर अन्तिम डिक्री पारित

की गई है। प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपीलार्थी वादी द्वारा खसरा नम्बर 598 राष्ट्रीय राजमार्ग के पास स्थित होने से उसमें से भूमि नहीं दिये जाने का एतराज लिया जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने खारिज कर दिया।

7. हमारे समक्ष अपीलार्थी का मुख्य तर्क खसरा नम्बर 598 के बाबत है जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होना कथन करते हुए इस संबंध में विचारण न्यायालय में आपति प्रस्तुत की जाना कथन किया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध वादी द्वारा दिनांक 30.4.02 को कुरा रिपोर्ट तहसील नदबई दिनांक 3.4.02 पर प्रस्तुत आपति में स्वंय वादी ने आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव के कुर्रे बनाकर प्रस्तुत किये हैं जिनमें भी आराजी खसरा नम्बर 598 को प्रतिवादी के पक्ष में दिया गया प्रस्तावित किया गया है। इसी प्रकार अन्य खसरा नम्बर 223 को वादी ने स्वंय के पक्ष में एवं खसरा नम्बर 222 को प्रतिवादी के पक्ष में दिया जाना प्रस्तावित किया है। इसमें वादी द्वारा खसरा नम्बर 440 का सम्पूर्ण 18 बिस्वा उसे स्वंय को दिया जाना प्रस्तावित किया है। अर्थात वादी द्वारा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विभाजन कुर्रे रिपोर्ट में आराजी खसरा नम्बर 440 के संबंध में ही आपति प्रस्तुत की गई है।

8. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्ब्र 598 व 222 के संबंध में वादी द्वारा किसी प्रकार की आपति नहीं की गई है एवं अब वह अपील में इन दोनों खसरा नम्बरों के संबंध में आपति उठा रहा है जो अनुचित एवं निराधार होने से निरस्तनीय है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने सभी तथ्यों पर पूर्ण विचार कर समवर्ती निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से हम यह अपील खारिज करना उचित समझते हैं।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर का निर्णय दिनांक 26.12.05 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य